रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2012/आश्विन 6, 1934
No. 494] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2012/ASVINA 6, 1934

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 731(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियमावली, 1980 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस नियमावली को पासपोर्ट (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जाएगा ।

 (2) ये नियम 1 अक्तूबर, 2012 से लागू होंगे ।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची-IV निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगी, नामत: :—

अनुसूची-IV

(नियम 8 देखें)

क्र.सं.	आवेदन का ब्यौरा	शुल्क					
		सामान्य शुल्क			तत्काल शुल्क (सामान्य शुल्क सहित)		
		भारत	विदेश		भारत	विदेश	
		रु.	$	€	रु.	$	€ (यूरो देशों के लिए)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	पासपोर्ट--						
1.	दस वर्षों की वैधता वाले 36 पृष्ठों के सामान्य नए पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए (पंद्रह से अठारह वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए भी लागू)	1500	75	60	3500	225	240
2.	दस वर्षों की वैधता वाले 60 पृष्ठों के सामान्य नए पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए (पंद्रह से अठारह वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए भी लागू)	2000	100	75	4000	250	255

3.	अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पांच वर्ष अथवा उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, की वैधता वाले 36 पृष्ठों के सामान्य पासपोर्ट अथवा पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए	1000	50	40	3000	200	220
4.	भारत बांग्लादेश नया पासपोर्ट अथवा यह पासपोर्ट पुनः जारी करने अथवा किसी भी अन्य देश के लिए अधिकतम दस वर्ष की वैधता वाले नए पासपोर्ट अथवा यह पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए	1000	50	40	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	व्यक्तिगत ब्यौरे में किसी परिवर्तन हेतु 10 वर्ष की वैधता वाले 36 पृष्ठों के पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए	1500	75	60	3500	225	240
6.	व्यक्तिगत ब्यौरे में किसी परिवर्तन हेतु 10 वर्ष की वैधता वाले 60 पृष्ठों के पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए	2000	100	75	4000	250	255
7.	व्यक्तिगत ब्यौरे में किसी परिवर्तन हेतु अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, 36 पृष्ठों के पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए	1000	50	40	3000	200	220
8.	उत्प्रवासन जांच अपेक्षित मुहर अपेक्षित का विलोप करने हेतु 10 वर्ष की वैधता वाले 36 पृष्ठों के पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए	1500	75	60	3500	225	240
9.	उत्प्रवासन जांच अपेक्षित मुहर का विलोप करने हेतु 10 वर्ष की वैधता वाले 60 पृष्ठों के पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए	2000	100	75	4000	250	255
II.	विशेष यात्रा दस्तावेज–						
10.	आपातिक प्रमाण पत्र	लागू नहीं	15	12	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	पहचान प्रमाणपत्र	1000	50	40	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	एक वर्ष तक की अवधि की वैधता सहित किसी देश के लिए 36 पृष्ठों वाले अतिरिक्त सामान्य पासपोर्ट	1500	75	60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
III.	विविध सेवाएं--						
13.	पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना, प्रमाण पत्र वापस करना अथवा पासपोर्ट से संबंधित कोई अन्य विविध सेवा	500	25	20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
IV.	गुम अथवा नष्ट हो गए पासपोर्ट के बदले में पासपोर्ट--						
14.	गुम, नष्ट अथवा चोरी हुए पासपोर्ट के बदले में 36 पृष्ठ वाले सामान्य पासपोर्टों के प्रतिस्थापन के लिए	3000	150	110	5000	300	290
15.	गुम, नष्ट अथवा चोरी हुए पासपोर्ट के रूप बदले में 60 पृष्ठ वाले सामान्य पासपोर्टों के प्रतिस्थापन के लिए	3500	175	130	5500	325	310

IndiaCode

टिप्पणीः

1. एनए से अभिप्राय है लागू नहीं।
2. तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए शुल्क में सामान्य पासपोर्ट शुल्क शामिल है।
3. आवेदन की तारीख से 1-7 कार्यदिवसों के भीतर नए पासपोर्ट जारी करने के लिए तत्काल शुल्क प्रभारित किया जाएगा। पासपोर्ट पुनः जारी करने के मामले में 1-3 कार्यदिवसों के लिए तत्काल शुल्क प्रभारित किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा दस्तावेजों संबंधी सभी अपेक्षाओं को पूरा करने तथा अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने के अध्यधीन होगी।
4. निम्नलिखित मामलों में कोई तत्काल शुल्क देय नहीं है।

 (i) कोई आवेदक, जिसे विशेष चिकित्सा उपचार तथा परामर्श के लिए विदेश जाने की सलाह दी गयी है (शुल्क छूट के लिए प्रमाण अपेक्षित है), तथा एक परिचालक;

 (ii) किसी आवेदक को पति/पत्नी पिता, माता बच्चे, दामाद, बहू पोता-पोती, भाई अथवा उसकी पत्नी, बहन अथवा उसके पति की विदेश में मृत्यु के संबंध में (आवेदक को पर्याप्त विवरण प्रदान करना चाहिए कि मृत्यु कब और कहां हुई है);

 (iii) सभी राजनयिक अथवा सरकारी पासपोर्ट धारक (उन व्यक्तियों को छोड़कर, जिनको अल्पावधिक विदेश यात्राओं के लिए अल्पवैधता वाले राजनयिक अथवा सरकारी पासपोर्ट जारी किए गए थे), जिन्होंने पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने के बाद तीन वर्षों तक के लिए अपने राजनयिक अथवा सरकारी पासपोर्ट के स्थान पर सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है;

 (iv) भारत से अनियत यात्री, जिनके पासपोर्ट विदेश में चुरा लिए गए हैं अथवा गुम हो गए है अथवा नष्ट हो गए है;

 (v) विदेश स्थित मिशन अथवा केंद्र में यदि तत्काल समय-सीमा के भीतर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सामान्य प्रक्रिया में पासपोर्ट जारी किया जाता है;

 (vi) यदि तत्काल अवधि के भीतर पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो गोद लेने के अंतर-देशीय मामले।"

[फा. सं. V.I./401/1/2011]

मुक्तेश के. परदेशी, संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

टिप्पणी : मूल नियम 11 दिसम्बर, 1980 के सा.का.नि. 691(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा इसके बाद निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किए गए थे :—

(i) सा.का.नि. 50(अ), दिनांक 7-2-1981
(ii) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 10-6-1981
(iii) सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 24-6-1982
(iv) सा.का.नि. 325(अ), दिनांक 12-4-1983
(v) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 16-6-1983
(vi) सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 29-3-1985
(vii) सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 8-11-1985
(viii) सा.का.नि. 857(अ), दिनांक 13-10-1987
(ix) सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 11-2-1988
(x) सा.का.नि. 1155(अ), दिनांक 21-11-1988
(xi) सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 27-7-1990
(xii) सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 2-7-1990
(xiii) सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 4-3-1991
(xiv) सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 20-3-1991
(xv) सा.का.नि. 586(अ), दिनांक 21-6-1991
(xvi) सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 22-1-1992
(xvii) सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 15-6-1992
(xviii) सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 7-8-1992
(xix) सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 16-6-1993
(xx) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 1-7-1993
(xxi) सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 10-7-1993
(xxii) सा.का.नि. 833(अ), दिनांक 2-12-1994
(xxiii) सा.का.नि. 592(अ), दिनांक 7-8-1995
(xxiv) सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 28-8-1997
(xxv) सा.का.नि. 605(अ), दिनांक 5-10-1998
(xxvi) सा.का.नि. 516(अ), दिनांक 8-7-1999
(xxvii) सा.का.नि. 827(अ), दिनांक 29-12-1999
(xxviii) सा.का.नि. 472(अ), दिनांक 22-5-2000
(xxix) सा.का.नि. 473(अ), दिनांक 22-5-2000
(xxx) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 23-5-2000
(xxxi) सा.का.नि. 529(अ), दिनांक 8-6-2000
(xxxii) सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 4-6-2000
(xxxiii) सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 29-6-2000
(xxxiv) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 26-6-2001
(xxxv) सा.का.नि. 527(अ), दिनांक 9-7-2001
(xxxvi) सा.का.नि. 576(अ), दिनांक 27-7-2001
(xxxvii) सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 29-10-2001
(xxxviii) सा.का.नि. 879(अ), दिनांक 4-12-2001
(xxxix) सा.का.नि. 235(अ), दिनांक 28-3-2002
(xl) सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 29-5-2002
(xli) सा.का.नि. 429(अ), दिनांक 23-5-2003
(xlii) सा.का.नि. 399(अ), दिनांक 5-5-2005
(xliii) सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27-10-2006
(xliv) सा.का.नि. 768(अ), दिनांक 23-12-2006
(xlv) सा.का.नि. 396(अ), दिनांक 25-5-2007
(xlvi) सा.का.नि. 526(अ), दिनांक 2-8-2007
(xlvii) सा.का.नि. 733(अ), दिनांक 28-11-2007
(xlviii) सा.का.नि. 43(अ), दिनांक 22-1-2008
(xlix) सा.का.नि. 103(अ), दिनांक 22-2-2008
(l) सा.का.नि. 850(अ), दिनांक 11-12-2008
(li) सा.का.नि. 390(अ), दिनांक 4-6-2009
(lii) सा.का.नि. 93, दिनांक 26-6-2009
(liii) सा.का.नि. 372, दिनांक 27-4-2010
(liv) सा.का.नि. 675, दिनांक 26-7-2010
(lv) सा.का.नि. 633, दिनांक 23-8-2011

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2012

G.S.R. 731(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967(15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:--

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of October, 2012.

2. For Schedule IV to the Passport Rules, 1980, the following schedule shall be substituted, namely:--

"SCHEDULE IV

(*See* rule 8)

Schedule of fees payable in respect of applications for passport and travel documents

IndiaCode

Sl. No.	Particulars of application	Scale of fees					
		Normal Fee			Tatkaal fee (inclusive of normal fee)		
		India	Abroad		India	Abroad	
		Rs.	$	€	Rs.	$	€ (for Euro countries)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PASSPORT--							
1.	For issue of ordinary fresh passport or reissue of Passport containing 36 pages having validity of ten years (also applicable to minors in the age group of fifteen to eighteen years)	1500	75	60	3500	225	240
2.	For issue of ordinary fresh passport or reissue of passport containing 60 pages having validity of ten years (also applicable to minors in the age group of fifteen to eighteen years)	2000	100	75	4000	250	255
3.	For issue of ordinary fresh passport or	1000	50	40	3000	200	220

3713 GI/12-2

	reissue of passport of 36 pages for minors below eighteen years of age with validity of five years or till the minor attains the age of eighteen years, whichever is earlier						
4.	For issue of fresh or reissue of India-Bangladesh Passport or Passport for any other named foreign country with a maximum validity of ten years	1000	50	40	NA	NA	NA
5.	Replacement of passport of 36 pages having validity of ten years for changes in personal particulars	1500	75	60	3500	225	240
6.	Replacement of passport of 60 pages having validity of ten years for changes in personal particulars	2000	100	75	4000	250	255
7.	Replacement of passport of 36 pages for changes in personal particulars for minors below the age of eighteen years with validity of five years or till the minor attains the age of eighteen years, whichever is earlier	1000	50	40	3000	200	220
8.	Replacement of passport of 36 pages having validity of ten years for deletion of Emigration Check Required stamp	1500	75	60	3500	225	240
9.	Replacement of passport of 60 pages having validity of ten years for deletion of Emigration Check Required stamp	2000	100	75	4000	250	255
II. SPECIAL TRAVEL DOCUMENT--							
10.	Emergency Certificate	NA	15	12	NA	NA	NA
11.	Certificate of Identity	1000	50	40	NA	NA	NA
12.	Additional ordinary passport containing 36 pages for any country with validity upto one year	1500	75	60	NA	NA	NA
III. MISCELLANEOUS SERVICES--							
13.	Issue of Police Clearance Certificate or Surrender Certificate or any other miscellaneous certificates based on the Passport	500	25	20	NA	NA	NA

IndiaCode

IV. PASSPORTS IN LIEU OF LOST, DAMAGED OR STOLEN--

14.	For replacement of ordinary passport of 36 pages in lieu of lost, damaged or stolen passport	3000	150	110	5000	300	290
15.	For replacement of ordinary passport of 60 pages in lieu of lost, damaged or stolen passport	3500	175	130	5500	325	310

Note:

1. 'NA' means 'not applicable'.
2. Fee for a passport under Tatkaal scheme is inclusive of normal passport fee.
3. Tatkaal fee will be charged for issue of fresh passport within 1 – 7 working days of the date of application. In case of reissue of passports, Tatkaal fee will be applicable for 1-3 working days. The prescribed time limit is subject to fulfillment of all documentary requirements and completion of requisite formalities.
4. No Tatkaal fee is payable in the following cases, namely:

(i) an applicant who has been advised to go abroad for specialised medical treatment and consultation (proof required for fee exemption), and an attendant;

(ii) death abroad of an applicant's spouse, father, mother, child, son-in-law, daughter-in-law, grandchild, brother or his spouse, sister or her spouse (applicant should provide sufficient details as to when and where death took place);

(iii) all Diplomatic or Official passport holders (except persons, who were issued short validity diplomatic or official passports for short visits abroad) who apply for an ordinary passport in lieu of their Diplomatic or Official passport up to three years after expiry of passport;

(iv) casual visitors from India, whose passports are stolen or lost or damaged while abroad;

(v) in Missions or Posts abroad, if a passport is issued in normal course on first come first served basis even within Tatkaal timeframe;

(vi) inter-country adoption cases if passport is issued within Tatkaal period."

[F. No. V.I./401/1/2011]

MUKTESH K. PARDESHI, Jt. Secy. & Chief Passport Officer

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 691(E), dated the 11th December,1980, and subsequently amended vide :-

(i) GSR 50(E), dated 07.02.1981;
(ii) GSR 494(E), dated 10.06.1981;

(iii) GSR 469(E), dated 24.06.1982;
(iv) GSR 325(E), dated 12.04.1983;
(v) GSR 494(E), dated 16.06.1983;
(vi) GSR 345(E), dated 29.03.1985;
(vii) GSR 860(E), dated 01.11.1985;
(viii) GSR 857(E), dated 13.10.1987;
(ix) GSR 84 (E), dated 11.02.1988;
(x) GSR 1155(E), dated 21.11.1988;
(xi) GSR 622(E), dated 27.06.1990;
(xii) GSR 653(E), dated 02.07.1990
(xiii) GSR 100(E), dated 04.03.1991;
(xiv) GSR 275(E), dated 20.03.1991;
(xv) GSR 586(E), dated 21.06.1991;
(xvi) GSR 111(E), dated 22.01.1992;
(xvii) GSR 684(E), dated 15.06.1992;
(xviii) GSR 721(E), dated 07.08.1992;
(xix) GSR 477(E), dated 16.06.1993;
(xx) GSR 485(E), dated 01.07.1993;
(xxi) GSR 503(E), dated 10.07.1993;
(xxii) GSR 833(E), dated 02.12.1994;
(xxiii) GSR 592(E) dated 07.08.1995;
(xxiv) GSR 491(E) dated 28.08.1997;
(xxv) GSR 605(E), dated 05.10.1998;
(xxvi) GSR 516(E), dated 08.07.1999;
(xxvii) GSR 827(E), dated 29.12.1999;
(xxviii) GSR 472(E), dated 22.05.2000;
(xxix) GSR 473(E), dated 22.05.2000;
(xxx) GSR 485(E), dated 23.05.2000;
(xxxi) GSR 529(E), dated 08.06.2000;
(xxxii) GSR 584(E), dated 12.06.2000;
(xxxiii) GSR 632(E), dated 29.06.2000;
(xxxiv) GSR 482(E), dated 26.06.2001;
(xxxv) GSR 527(E), dated 09.07.2001:
(xxxvi) GSR 576(E), dated 27.07.2001;
(xxxvii) GSR 817(E), dated 29.10.2001;
(xxxviii) GSR 879(E), dated 04.12.2001;
(xxxix) GSR 235(E), dated 28.03.2002;
(xl) GSR 417(E), dated 29.05.2002;
(xli) GSR 429 (E),dated 23.05.2003;
(xlii) GSR 399(E), dated 05.05.2005;
(xliii) GSR 674(E), dated 27.10.2006;
(xliv) GSR 768(E), dated 23.12.2006;
(xlv) GSR 396(E), dated 25.05.2007;
(xlvi) GSR 733 (E) dated 28.11.2007;
(xlvii) GSR 526(E) dated 02.08.2007;
(xlviii) GSR 43(E), dated 22.01.2008;
(xlix) GSR 103(E), dated 22.02.2008;
(l) GSR 850(E), dated 11.12.2008;
(li) GSR 390(E), dated 04.06.2009;
(lii) GSR 93, dated 26.06.2009;
(liii) GSR 372(E) dated 27.04.2010;
(liv) GSR 675(E) dated 26.07.2010;
(lv) GSR 633(E) dated 23.08.2011;

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.